जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवादनिवारणकेन्द्र, जिला एवंसेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id–dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)

क्रमांक / जि.वि.से.प्रा. / 01 दिनांक :– 12/1/2026

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक **F-2(34)/रालसा/DS-I/2025/15767** दिनांक 04.12.2025 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा हेतु मुख्यालय एवं चयनित पंचायत समिति स्तर पर तय की गई निर्धारित संख्या में पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) का चयन कर पैनलित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं:–

क्र0सं0	पंचायत समिति का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जाना है।	नवीन भर्ती के माध्यम से लिये जाने वाले पीएलवी (अधिकार मित्र) के पदों की संख्या
1	बालोतरा	10
2	गिड़ा	05
3	पाटोदी	05
4	कल्याणपुर	05
5	समदड़ी	05
6	सिवाना	05
7	पादरू	05
8	सिणधरी	05
9	पायलाकलां	05
10	गुडामालानी	05
11	धोरीमन्ना	05
योग:–		60

(1) **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु** :–आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो।

नोट:– कम्प्यूटर कार्य में दक्ष, सोशल मिडिया में सक्रिय, यूट्यूबर, कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग में दक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारिता एवं फोटोग्राफी दक्षता में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) **आवेदन पत्र**:–इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा ।

(3) **परीक्षा**:–आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा द्वारा पहचान पत्र दिया जाकर पेनलित किया जायेगा।

(4) **चरित्र**:–आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के रक्त सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाणपत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) **शारीरिक योग्यताः–**आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए ।

(6) **आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे :–**

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. दो चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो। (स्टेपल नहीं करें)
5. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधारकार्ड/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।
7. किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र।
8. यदि आवेदक सेवानिवृत राजकीय अधिकारी/कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक/एम.एस. डब्ल्यु. छात्र/छात्रा व आंगनवाडी कार्यकर्ता/डॉक्टर/फिजीसियन/छात्र/छात्रा व विधि छात्र/छात्रा (जब तक वकालात के लिए एनरोल न हो)/गैर–राजनैतिक दलों के सदस्य/सेवा भावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिलाग्रुप, मैत्री संगम स्वंय सहायता समुह से संबंधित प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
9. अनुभव प्रमाण पत्र

(7) **आवेदन की अन्तिम तिथि– पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा (जिला न्यायालय परिसर बालोतरा) के कार्यालय में दिनांक 23.01.2026 को सायं 5.00 बजे तक ही व्यक्तिगत या डाक द्वारा लिये जाएंगें। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाणपत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।**

(8) **पात्रताः**–पी.एल.वी. (अधिकार मित्र) चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हे शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवासी स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र आदि के अवलोकन पश्चात् किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.ल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते है:–

- सेवा निवृत राजकीय अधिकारी / कर्मचारी
- वरिष्ठ नागरिक
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- ट्रान्सजेन्डर
- छात्र व विधि छात्र (अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पूर्व)
- गैर राजनीतिक संस्था के सदस्य, सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य
- स्थानीय महिला सदस्य मंडल के सदस्य तथा स्वंय सहायता समुह के सदस्य
- अच्छा व्यवहार वाला लंबी सजायाफ्ता कैदी।
- एन.जी.ओ., क्लबस्, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह आदि के सदस्य
- कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के रूप में कार्य के लिए सक्षम व योग्य समझे ।

(9)**पीएलवी (अधिकार मित्र) कार्यदिवस व घंटेः**–कार्य दिवस–माह में अधिकतम 21 कार्य दिवस (रविवार, दूसरा व चौथा शनिवार, सरकारी व स्थानीय अवकाश शामिल), कार्य के घंटे– 6 घंटे (कम से कम 5 घंटे फील्ड / डेस्क कार्यऔर 1 घंटा रिपोर्टिंग / दस्तावेजीकरण के लिए)

(10) **मानदेयः–**राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार चयनित पी.एल.वी. (अधिकार मित्र) को उपस्थिति अनुसार प्रतिकार्य दिवस 750/–रू मानदेय देय होगा।

(उपरोक्त भर्ती पूर्णतः अस्थायी होगी। पी.एल.वी. (अधिकार मित्र) किसी प्रकार के नियमितिकरण की मांग नहीं करेंगे।)

(10) **चयनित पी.एल.वी.के कर्तव्य (ड्यूटी)**

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ।
3. श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा (RTE के तहत नामांकन) और सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना।
4. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय यथा बाल विवाह, मृत्युभोज, अन्य अपराध आदि होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ।
5. पुलिस थानों, फ्रंट ऑफिस, जेल विधिक सहायता क्लीनिक और लोक अदालतों में सहायता करना ।
6. पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिलती है तब उसे पुलिस थाना जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी देना।

7. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल, संरक्षण व दं.प्रं.सं.की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना ।
8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर कारागृह, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह, रैन बसेरों आदि गृहों में रहने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता, सलाह की जानकारी एवं साफ सफाई, मूलभूत आवश्यकताओं का आंकलन कर प्राधिकरण को अवगत करावाना।
9. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने की जानकारी अविलंब विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा बाल कल्याण समिति को आवश्यक रूप से देगें।
10. पैरा लीगल वॉलियन्टर स्थानीय लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की गतिविधियों की जानकारी देगें। वे आम लोगों को इन संस्थानों का पता भी बताएंगे ताकि सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थनों से मदद मिल सकें।
11. पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों मे विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे लोगों को जनोपयोगी सेवाओं जैसे डाक एवं तार, टेलीफोन, पानी बिजली आपूर्ति, बीमा तथा अस्पताल सेवाओं से सबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगें।
12. विहित प्रपत्र में पैरा लीगल वॉलियन्टर प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यो का विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को देगें।
13. प्रत्येक पैरा लीगल वॉलियन्टर विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का विवरण दर्ज करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा द्वारा डायरी को मुद्रित कर पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) को प्रदान कि जायेगी। इस डायरी का पहचान तथा पृष्ठांकन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति करेंगे।
14. पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक जागरूकता तथा विधिक सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन उनके क्षेत्र में प्रमुख जगहों पर हो।

15. (10) **साक्षात्कारः**–बालोतरा न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. के साक्षात्कार की तिथि व स्थान व अन्य आदेशों, कर्त्तव्यों, नियमों की सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट https://balotra.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/ पर भी उपलब्ध करवाई जायेगी। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
16. **स्पष्टीकरणः**– यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य करने हेतु इच्छुक पंचायत समिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् किस पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पड़ौस की पंचायत समिति के निवासी के आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवादनिवारणकेन्द्र, जिला एवंसेशन न्यायालय) बालोतरा

(E-mail id–dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)

प्राप्त पी.एल.वी. को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर दिए गए कार्य हेतू नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा। किसी भी कदाचार, गलत रिपोर्टिंग या लापरवाही पर पैनल से हटाने जैसी कार्यवाही की जा सकती है ।

नोटः–

01. आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा, तालुका विधिक सेवा समिति–सिवाना के कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट https://balotra.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

02. आवेदन कर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के कार्यालय में व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवादनिवारणकेन्द्र, जिला एवंसेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id–dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.बालोतरा/PLV–विज्ञप्ति/2026/102-117 दिनांकः 12/1/2026

विज्ञप्ति की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बालोतरा
3. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बालोतरा
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बालोतरा
5. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, सिवाना
6. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बालोतरा
7. श्रीमान् आयुक्त, नगर परिषद्, बालोतरा
8. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोतरा
9. श्रीमान् मुख्य जिलाशिक्षा अधिकारी, बालोतरा
10. जनसम्पर्क अधिकारी, बालोतरा
11. कार्यालय समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिलाबालोतरा
12. कार्यालय समस्त तहसलीदार, जिला बालोतरा
13. कार्यालय समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला बालोतरा
14. सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोतरा
15. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बालोतरा
16. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की रजिस्टर्ड वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्)

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवादनिवारणकेन्द्र, जिला एवंसेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id–dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)

पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स (अधिकार मित्र) के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1. नाम आवेदक : ....
2. पिता का नाम :..
3. विवाहित आवेदक के पति/पत्नी का नाम : ....
4. जाति एवं लिंग : ....
5. संवर्ग–सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ : ....
अ.पि.वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग
/ट्रॉन्सजेण्डर/(जिस संवर्ग से संबंधित
हो वो लिखें)
6. स्थायी पता : ....
....
....
....
....
7. वर्तमान पता : ....
....
....
....
....

8. मोबाईल नम्बर:...

8. पुलिस स्टेशन : ....
पंचायत समिति का नाम : ....
ग्राम पंचायत का नाम : ....

9. जन्मतिथि (अंको में) : ....
(शब्दों में) : ....
....
वर्तमान आयु (वर्षो में) : ....

10. शैक्षणिक योग्यता : ....
11. यदि आवेदक सेवा निवृत कर्मचारी : ....
है,तो किस पद से सेवा निवृत हुए
12. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है तो पूर्ण विवरण : ....
....
13. राष्ट्रीयता : ....

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवादनिवारणकेन्द्र, जिला एवंसेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id–dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)

14. आवेदक पीएलवी के रूप में
स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है: 1. बालोतरा मुख्यालय 2. तालुका विधिक सेवा समिति, सिवाना 3 .पंचायत समिति ....

15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था या किसी वि ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें : ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है ।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)